(का.) 07692 – 220444
(नि.) 07692 – 220301
(फैक्स) 07692 – 220900

# कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी (म.प्र.)

क्रमाँक / 729 / जि.श.वि.अभि. / 2024–25 सिवनी, दिनाँक / 12 / 2024

प्रति,

सर्वसंबंधित विभाग प्रमुख,
(संलग्न सूची अनुसार)

विषय :– भारत सरकार और राज्य सरकार की चिन्हित हितग्राही मूलक योजनाओं में शत प्रतिशत सैचुरेशन एवं लक्ष्य आधारित योजनाओं को प्राप्त करने हेतु मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान के आयोजन के संबंध में।

संदर्भ :– मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल का पत्र कमाँक GAD / 34 / 0002 / 2023 / 1 / 9, भोपाल, दिनाँक 08 / 12 / 2024

----000----

उपरोक्त विषयांतर्गत, संदर्भित पत्र संलग्न प्रेषित है जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकार की चिन्हित हितग्राही मूलक योजनाओं में शत प्रतिशत सैचुरेशन एवं लक्ष्य आधारित योजनाओं को प्राप्त करने के लिये दिनाँक 11 / 12 / 2024 से 26 / 01 / 2025 तक "मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान" का आयोजन किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। उपरोक्त निर्देश के अनुपालन में अभियान अन्तर्गत चिन्हित योजनाओं / सेवाओं का लाभ लेने से छूट गए हितग्राहियों को लाभ प्रदान किए जाने हेतु नगरीय क्षेत्र में निम्नानुसार तिथियों एवं स्थानों पर शिविर का आयोजन किया जाना है :–

| क्रमाँक | निकाय का नाम | शिविर की तिथि | शिविर का स्थान |
|---|---|---|---|
| 1 | नगर पालिका परिषद, सिवनी | 17.12.24 | सोमवारी चौक, व्यायाम शाला ग्रांउण्ड, भैरोगंज |
| 2 | | 18.12.24 | महात्मा गांधी स्कूल, बाहुबली चौक, बारापत्थर |
| 3 | | 19.12.24 | डिस्लरी मैदान, बरघाट नाका |
| 4 | | 20.12.24 | उर्दू स्कूल मैदान, प्रायवेट बसस्टेण्ड के सामने |
| 5 | | 21.12.24 | पानी टंकी के नीचे, संजय वार्ड |
| 6 | | 23.12.24 | मठ मंदिर प्रागंण |
| 7 | | 24.12.24 | तिलक स्कूल प्रांगण |
| 8 | | 26.12.24 | किदवई वार्ड, फिल्टर प्लांट परिसर ग्राउण्ड |
| 9 | नगर परिषद, बरघाट | 17.12.24 | आरा मशीन के पास, शासकीय स्कूल के पास उर्दू स्कूल जैन मंदिर के पास रैदास मंदिर के पास |
| 10 | | 18.12.24 | उर्दू स्कूल जैन मंदिर के पास रैदास मंदिर के पास |
| 11 | | 19.12.24 | हनुमान मंदिर के पास बजरंग चौक सभा मंच सुभाष चौक |
| 12 | | 20.12.24 | सोसायटी के पास मंगल भवन |
| 13 | | 21.12.24 | राजेश्वरी चौक |
| 14 | | 23.12.24 | कार्यालय भवन सभा मंच हनुमान मंदिर के पास |
| 15 | | 24.12.24 | किसान राईस मिल के पास सभा मंच |
| 16 | नगर परिषद, लखनादौन | 17.12.24 | शंकर मंदिर |
| 17 | | 18.12.24 | कार्यालय नगर परिषद लखनादौन |
| 18 | | 19.12.24 | दुर्गा मंच समनापुर |

(का.) 07692 – 220444
(नि.) 07692 – 220301
(फैक्स) 07692 – 220900

# कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी (म.प्र.)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 19 | | 20.12.24 | सार्वजनिक दुर्गा मंच |
| 20 | | 21.12.24 | शंकर मढिया मंदिर |
| 21 | | 23.12.24 | दुर्गा चौक सभा मंच |
| 22 | | 24.12.24 | आदिवासी भवन के पास |
| 23 | नगर परिषद, छपारा | 17.12.24 | आंगनबाडी भवन चंदेनी |
| 24 | | 18.12.24 | अभ्यास शाला भवन |
| 25 | | 19.12.24 | संत रविदास भवन अंम्बेडकर वार्ड ५ छपारा |
| 26 | | 20.12.24 | सामुदायिक भवन संजय कॉलोनी |
| 27 | | 21.12.24 | नवीन कार्यालय भवन नगर परिषद छपारा |
| 28 | | 23.12.24 | सामुदायिक भवन छपारा कलॉ |
| 29 | | 24.12.24 | सामुदायिक भवन |
| 30 | नगर परिषद, केवलारी | 17.12.24 | पुराना पंचायत भवन, मलारा |
| 31 | | 18.12.24 | पुराना पंचायत भवन डोभ |
| 32 | | 19.12.24 | स्कूल प्रांगण, सिरोली |
| 33 | | 20.12.24 | आंगनबाडी के बाजू में कछारी |
| 34 | | 21.12.24 | पंचायत भवन के सामने डोकररांजी |
| 35 | | 23.12.24 | बस स्टेण्ड के पीछे मैदान में। |
| 36 | | 24.12.24 | आंगनवाडी केन्द्र बिनैकी |

अतः उपरोक्त शिविर एवं स्थान पर योजनाओं से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को नामित करते हुए उपरोक्तानुसार शिविर में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करें साथ ही संलग्न गूगल शीट में योजनाओं से संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों के नाम, पदनाम व मोबाईल नंबर दर्ज करते हुए इए कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

**गूगल लिंक :–**

https://docs.google.com/spreadsheets/d/131I_rIWdthuHxdMqjLqfx-i-c5voMi6rHNOyJ5f54mA/edit?usp=sharing

(पूर्वी तिवारी)
डिप्टी कलेक्टर/परियोजना अधिकारी
जिला शहरी विकास अभिकरण
जिला–सिवनी (म.प्र.)

पृ.क्रमॉक/730/जि.श.वि.अभि./2024–25 सिवनी, दिनॉक /12/2024

प्रतिलिपिः–

1. अवर सचिव महोदय, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र., भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त महोदय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
3. अनुविभागीय अधिकारी (रा), सिवनी, बरघाट, लखनादौन एवं केवलारी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु
4. स्टेनो टू कलेक्टर, जिला–सिवनी की ओर सूचनार्थ।

(का.) 07692 – 220444
(नि.) 07692 – 220301
(फैक्स) 07692 – 220900

# कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी (म.प्र.)

5. सर्व संबंधित........................................................................................की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

डिप्टी कलेक्टर/परियोजना अधिकारी
जिला शहरी विकास अभिकरण
जिला–सिवनी (म.प्र.)

**मध्यप्रदेश शासन**
**सामान्य प्रशासन विभाग**
**मंत्रालय,भोपाल**

**क्रमांक GAD/34/0002/2023/1/9** **भोपाल, दिनांक 08/12/2024**

**प्रति,**

**शासन के समस्त विभाग**
**समस्त विभागाध्यक्ष**
**समस्त संभागायुक्त**
**समस्त कलेक्टर**
**समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत**
**समस्त आयुक्त, नगर पालिक निगम**
**समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी**
**समस्त नगर पालिका/नगर परिषद**
**मध्यप्रदेश**

**विषय:-भारत सरकार और राज्य सरकार की चिन्हित हितग्राही मूलक योजनाओं में शत-प्रतिशत सैचुरेशन एवं लक्ष्य आधारित योजनाओं को प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान 11 दिसम्बर 24 से 26 जनवरी 25 तक आयोजित किए जाने बाबत।**

--00–

राज्य सरकार विकास, जनकल्याण और सुराज के लिए प्रतिबद्ध है। भारत सरकार एवं राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों का पूरा लाभ उसके पात्र हितग्राही तक समय-सीमा में पहुंचे सुशासन का मूल ध्येय है। राज्य सरकार द्वारा इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु निर्णय लिया गया है कि दिनांक 11 दिसंबर से 26 जनवरी, 2025 तक विशेष अभियान चलाकर पात्र हितग्राहियों के लिये भारत सरकार एवं राज्य शासन की चिन्हित हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ प्रदान कर इन योजनाओं में शत-प्रतिशत सैचुरेशन लाया जाये एवं उन योजनाओं में जिनके लक्ष्य निर्धारित है लक्ष्य अनुरूप लाभ प्रदान किया जावें ताकि कोई भी पात्र हितग्राही संबंधित योजना के लाभ से वंचित न रहे। साथ ही नागरिकों को चिन्हित सेवाएं अभियान के अंतर्गत प्रदान की जाये। अभियान के प्रभावी, सुव्यवस्थित एवं समयबद्ध

क्रियान्वयन के लिए निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते है :-

**जनकल्याण अभियान के विषय में प्रमुख बिन्दु :-**

1. अभियान का नाम **मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान** होगा। इस अभियान को दिनांक 11 दिसंबर 2024 से 26 जनवरी 2025 तक संपूर्ण प्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में चलाया जाएगा।

2. जिले में मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान के प्रभारी जिला कलेक्टर होंगे एवं जिले के प्रभारी मंत्री से मार्गदर्शन प्राप्त कर जिले में अभियान की विस्तृत रूपरेखा तैयार करेंगे।

3. जिला कलेक्टर द्वारा अभियान के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाये, जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं शहरी क्षेत्र के लिए यथास्थिति जिला मुख्यालय के आयुक्त, नगर पालिक निगम/अपर कलेक्टर/मुख्य नगर पालिका अधिकारी होंगे।

4. मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान से संबंधित संपूर्ण कार्यवाही सी.एम. हेल्पलाईन पोर्टल **(cmhelpline.mp.gov.in)** के माध्यम से की जाऐगी। पोर्टल में एक पृथक माड्यूल तैयार कर अधिकारियों एवं नागरिकों के लिए लॉगिन क्रियेट करने की सुविधा दी जा रही है। पोर्टल का यूजर मैनुअल पृथक से सूचित किया जाएगा।

5. मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान के अंतर्गत भारत सरकार एवं राज्य सरकार की हितग्राहीमूलक(सेचुरेशन एवं लक्ष्य आधारित) योजनाओं का चिन्हांकन किया गया है। उनकी सूची **परिशिष्ट 1** पर संलग्न है। तथा विभिन्न विभागों द्वारा आभियान दौरान प्रदान की जाने वाली सेवाओं की सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

6. सभी जिले परिशिष्ट 1 एवं 2 में चिन्हित योजनाओं तथा सेवाओं के अंर्तगत 11 दिसम्बर को लंबित आवेदनों की संख्या की प्रविष्टी पोर्टल पर करेगें तथा जिले की प्रगति की समीक्षा अभियान के दौरान प्राप्त आवेदन तथा 11 दिसम्बर को लंबित आवेदनों के कुल योग के निराकरण के अनुसार किये जाऐंगे ।

7. सेचुरेशन से अभिप्राय है सभी पात्र हितग्राहियों को संबंधित चिन्हांकित योजना का शत-प्रतिशत लाभ प्रदान करना है एवं ऐसी हितग्राहीमूलक योजनाएं जो लक्ष्य आधारित हैं, अर्थात जिनमें शासन स्तर से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, में लक्ष्य के अनुसार हितलाभ प्रदान करने की कार्यवाही की जायेगी।

8. राजस्व महाभियान 3.0 जिसकी समयावधि 15 दिसंबर को समाप्त हो रही है, को भी इस अभियान के साथ-साथ 26 जनवरी 2025 तक चलाया जायेगा।

**सम्पर्क दलों का गठन एवं सम्पर्क कार्य**

9. प्रत्येक जिले में चिन्हित योजनाओं का लाभ लेने से छूट गए हितग्राहियों की पहचान हेतु प्रत्येक ग्राम एवं शहरी वार्ड में सम्पर्क दलों को नियत तिथि एवं समय पर भेजा जायेगा। सम्पर्क दलों का गठन जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। सम्पर्क दल घर-घर जाकर प्रत्येक परिवार से सम्पर्क करेंगे और चिन्हित योजनाओं/ सेवाओं के अंतर्गत विधिवत आवेदन भी प्राप्त करेंगे। संपूर्ण सम्पर्क के कार्य के सतत पर्यवेक्षण के लिए जिला कलेक्टर्स द्वारा जिला एवं विकासखंड स्तरीय अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। सम्पर्क का कार्य शिविर आयोजन के पूर्व अनिवार्य रूप से संपन्न कर लिया जाए।

10. सम्पर्क दल द्वारा ही **धरती आवा योजना** अंतर्गत लक्षित हितग्राहियों/परिवारों का Gap Identification का कार्य किया जाकर नोडल अधिकारी को सौंपा जावेगा, जिसके आधार पर जिले की कार्य योजना तैयार की जावेगी |

11. मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान के अंतर्गत कार्य करने वाले सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा सम्पर्क दल के सदस्यों को मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान के संचालन तथा पोर्टल पर ऐन्ट्री का प्रशिक्षण जिला स्तर पर दिया जावेगा।

**हितग्राहियों की जानकारी की पोर्टल पर एन्ट्री**

12. सम्पर्क दलों के माध्यम से संभावित हितग्राहियों के जो आवेदन प्राप्त होते हैं, उन्हें पोर्टल पर दर्ज कराया जाएगा। इसके लिए पोर्टल पर अधिकारी लॉगिन सुविधा प्रदान की जा रही है।

13. नागरिक भी अपने आवेदन स्वयं लॉगिन कर पोर्टल पर दर्ज कर सकेंगे। इसके लिए पोर्टल में पृथक से सुविधा दी गई है।

**ग्राम पंचायत एवं शहरी वार्ड स्तर पर शिविरों का आयोजन**

14. दिनांक 11 दिसंबर, 2024 से दिनांक 26 जनवरी, 2025 के मध्य प्रत्येक जिले में प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं प्रत्येक शहरी वार्ड स्तर पर संपर्कदलों का भ्रमण तथा शिविरों का आयोजन किया जाएगा। संपर्कदलों द्वारा संपर्क किये जाने वाले ग्राम/मोहल्ले तथा शिविरों के आयोजन की तिथि एवं स्थान आदि के संबंध में जिले के प्रभारी मंत्री से परामर्श कर अंतिम निर्णय स्थानीय स्तर पर जिला कलेक्टर द्वारा लिया जाएगा।

15. शिविरों के आयोजन के लिए जिला कलेक्टर्स द्वारा रोस्टर्स का निर्धारण किया जाएगा। प्रत्येक शिविर के पंजीयन की कार्यवाही पोर्टल के माध्यम से की जाएगी।

16. प्रत्येक ग्राम पंचायत/शहरी वार्ड स्तर पर शिविर हेतु कलेक्टर द्वारा एक शिविर प्रभारी तथा सहयोगी दल का गठन किया जाएगा। शिविर के सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित आयोजन का उत्तरदायित्व शिविर प्रभारी तथा सहयोगी दल का होगा। शिविर पूर्व सूचना, सभी प्राप्त आवेदनों की पोर्टल में ऐन्ट्री तथा निराकरण हेतु विकासखण्ड/नगरीय निकाय स्तर पर भेजे जाने की कार्यवाही भी यही टीम करेगी।

17. शिविरों की मॉनीटरिंग हेतु जिला कलेक्टर द्वारा पर्याप्त संख्या में सेक्टर अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। ऐसे आवेदन जिनकी स्वीकृति ब्लॉक या जिला स्तर या निकाय स्तर से होना है, उनके निराकरण की जिम्मेदारी सेक्टर अधिकारी की होगी। (उदाहरण के लिए- नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक जोन पर एक सेक्टर अधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत क्लस्टर पर एक सेक्टर अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है)

18. शिविर के स्थल, तिथि एवं समय तथा शिविर में होने वाली कार्यवाही के संबंध में आम जनता को लगातार स्थानीय मीडिया, सोशल मीडिया एवं अन्य विभिन्न माध्यमों से जानकारी देने एवं प्रचार-प्रसार का कार्य किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक संभावित हितग्राही शिविर स्थल तक पहुंच सकें।

19. शिविर में भाग लेने के लिए पोर्टल पर नागरिकों के पंजीयन की व्यवस्था भी की जाऐगी। इसके अंतर्गत पोर्टल पर नागरिक शिविर के पूर्व अपनी सुविधानुसार शिविर रोस्टर से शिविर का चयन कर अपना आवेदन पोर्टल पर दर्ज कर सकेंगे। शिविर में प्राप्त आवेदनों में से सत्यापन पश्चात् जिन हितग्राहियों के आवेदन का तत्काल निराकरण कर उन्हें मौके पर ही लाभ दिया जा सकता है, ऐसे हितग्राहियों को योजना का लाभ दिया जाएगा। शिविर में प्राप्त होने वाले अथवा शिविर के ठीक पूर्व पोर्टल पर दर्ज होने वाले नवीन आवेदनों को भी विचार में लिया जाएगा और उनका भी यथासंभव उसी दिन विधिवत निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा।

20. शिविरों के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के निराकरण की स्थिति को रिमार्क (आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत करने के आधार का विवरण देते हुए) के साथ पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

21. सभी जिले यह सुनिश्चित करेंगे कि शिविरों में प्राप्त समस्त आवेदनों का यथासंभव अंतिम निराकरण 26 जनवरी, 2025 तक अनिवार्य रूप से कर दिया जाये।

**अन्य प्रमुख दिशा निर्देश**

22. शिविर में जिन पात्र हितग्राहियों को हितलाभ प्रदान किया गया उनके अलावा शेष पात्र आवेदकों को संबंधित योजना का हितलाभ गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2025 को आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं में स्थानीय जन-प्रतिनिधियों की उपस्थिति में समारोह पूर्वक प्रदान किया जाये। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों के वार्ड में भी विशेष शिविर लगाकर उक्तानुसार हितलाभ प्रदान किए जाने संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

23. मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान की समाप्ति के पश्चात् सभी जिला कलेक्टर इस विषय का योजनावार प्रमाण-पत्र राज्य सरकार को प्रेषित करेंगे कि उनके जिले में प्रमाण-पत्र जारी करने तक की स्थिति में प्राप्त सभी आवेदनों का निराकरण हो गया है और उनमें से पात्र पाए गए सभी हितग्राहियों को संबंधित योजना का लाभ प्रदान कर दिया गया है।

24.जिलों के प्रभारी मंत्रीगण द्वारा मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा की जायेगी। सभी संभागायुक्त संभाग द्वारा स्तर पर, जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा अनुविभाग स्तर पर मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान के संचालन की नियमित समीक्षा, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण किया जायेगा।

25.उपरोक्त दिशा निर्देशों के अतिरिक्त जिला कलेक्टर्स भी मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्थानीय परिस्थितियों एवं आवश्यकता अनुसार जनहित में समुचित निर्णय ले सकेंगे तथा अपने स्तर पर ऐसे नवाचार एवं पहल भी कर सकेंगे, जिससे अभियान के लक्ष्यों को समय सीमा में प्राप्त करने में सहायता मिले और अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को उन समस्त योजनाओं का लाभ मिले, जिसकी वह पात्रता रखता है।

26. ऐसे अधिकारी/ कर्मचारी जो मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान में उत्कृष्ट कार्य करेंगे उन्हें 26 जनवरी 2025 के मुख्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कृत / सम्मानित किया जाये।

27.अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक जानकारी प्राप्त करने एवं समस्याओं के निराकरण हेतु राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी की जानकारी निम्नानुसार है :-

| क्र. | अधिकारी का नाम | पदनाम | मोबाईल नंबर | ई-मेल आई.डी. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री अजय कटेसरिया | उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग | 9425010769 | cm@mp.gov.in |
| 2. | श्री आशीष वशिष्ठ | प्रबंधन निर्देशक M.P.S.E.D.C | 8435047349 | |
| 3. | श्री संदीप अष्ठाना | अवर सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय एवं संचालक सी.एम. हेल्पलाईन (अतिरिक्त प्रभार) | 9407411789 | |

28. राजस्व महाअभियान 3.0 को 26 जनवरी, 2025 तक चलाने एवं सतत क्रियान्वयन हेतु विभागीय दिशा-निर्देश राजस्व विभाग, म.प्र. शासन द्वारा जारी किये जाये।

**संलग्न - परिशिष्ट-1** एवं **2**

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

**(सचिन्द्र राव)**
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

**पृ. क्रमांक GAD/34/0002/2023/1/9** **भोपाल, दिनांक 08/12/2024**

**प्रतिलिपि**

1. **अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।**
2. **आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय भोपाल म.प्र**
3. **उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।**
4. **श्री अजय कटेसरिया, उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।**
5. **श्री आशीष वशिष्ठ, प्रबंधन निर्देशक, M.P.S.E.D.C**
6. **श्री संदीप अष्ठाना, राप्रसे अवर सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय भोपाल।**
7. **निज सचिव, अपर मुख्य सचिव/सचिव, सा.प्र.वि. भोपाल**
8. **अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (7-1)**

**की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।**

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

# मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान के अंतर्गत चिन्हांकित योजनाओं की सूची (दिनांक 11.12.2024 से 26.01.2025 तक)

## हितग्राहीमूलक

| क्र | विभाग का नाम | योजना का नाम |
|---|---|---|
| 1 | महिला एवं बाल विकास विभाग | मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना |
| 2 | महिला एवं बाल विकास विभाग | लाड़ली लक्ष्मी योजना |
| 3 | महिला एवं बाल विकास विभाग | प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना |
| 4 | राजस्व विभाग | प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना |
| 5 | राजस्व विभाग | मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना |
| 6 | वित्त विभाग | अटल पेंशन योजना |
| 7 | वित्त विभाग | प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना |
| 8 | लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग | आयुष्मान भारत योजना |
| 9 | जनजातीय कार्य विभाग | आहार अनुदान योजना |
| 10 | सामाजिक न्याय एवं निशक्त कल्याण विभाग | चिकित्सक की अनुशंसा से निःशुल्क कृत्रिम अंग सहायक उपकरण |
| 11 | सामाजिक न्याय एवं निशक्त कल्याण विभाग | दिव्यांग छात्रवृत्ति |
| 12 | सामाजिक न्याय एवं निशक्त कल्याण विभाग | इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना |

| | | |
|---|---|---|
| 13 | सामाजिक न्याय एवं निशक्त कल्याण विभाग | इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन। |
| 14 | सामाजिक न्याय एवं निशक्त कल्याण विभाग | इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृध्दावस्था पेंशन योजना |
| 15 | सामाजिक न्याय एवं निशक्त कल्याण विभाग | छः वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन के लिए सहायता अनुदान योजना |
| 16 | सामाजिक न्याय एवं निशक्त कल्याण विभाग | नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना |
| 17 | सामाजिक न्याय एवं निशक्त कल्याण विभाग | मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना |
| 18 | सामाजिक न्याय एवं निशक्त कल्याण विभाग | मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना |
| 19 | सामाजिक न्याय एवं निशक्त कल्याण विभाग | मुख्यमंत्री नि:शक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना |
| 20 | सामाजिक न्याय एवं निशक्त कल्याण विभाग | मध्यप्रदेश निःशक्त छात्र/छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस, निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता योजना |
| 21 | सामाजिक न्याय एवं निशक्त कल्याण विभाग | राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना |
| 22 | सामाजिक न्याय एवं निशक्त कल्याण विभाग | समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना |
| 23 | सामाजिक न्याय एवं निशक्त कल्याण विभाग | उच्च शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क जीवन निर्वाह भत्ता |
| 24 | सामाजिक न्याय एवं निशक्त कल्याण विभाग | मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना |

| | | |
|---|---|---|
| 25 | सामाजिक न्याय एवं निशक्त कल्याण विभाग | शत प्रतिशत श्रवण एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए आवास सहायता योजना |
| 26 | सामाजिक न्याय एवं निशक्त कल्याण विभाग | दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना |
| 27 | श्रम विभाग (संबल योजना/कर्मकार मण्डल) | निर्माण श्रमिकों का पंजीयन (भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल) |
| 28 | श्रम विभाग (संबल योजना/कर्मकार मण्डल) | म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत भवन संनिर्माण श्रमिकों का पंजीयन |
| 29 | श्रम विभाग (संबल योजना/कर्मकार मण्डल) | प्रसूति सहायता योजना का लाभ प्रदान करना। |
| 30 | श्रम विभाग (संबल योजना/कर्मकार मण्डल) | विवाह सहायता योजना का लाभ प्रदान करना। |
| 31 | श्रम विभाग (संबल योजना/कर्मकार मण्डल) | मृत्यु की दशा में अनुग्रह सहायता योजना का लाभ प्रदान करना। |
| 32 | श्रम विभाग (संबल योजना/कर्मकार मण्डल) | निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना की स्थिति में स्थायी अपंगता होने पर सहायता प्रदान करना। |
| 33 | श्रम विभाग (संबल योजना/कर्मकार मण्डल) | निर्माण स्थल पर कार्य के दौरान अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि योजना 2014 |
| 34 | श्रम विभाग (संबल योजना/कर्मकार मण्डल) | राज्य लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता पर पुरस्कार योजना |
| 35 | नगरीय प्रशासन | पी एम स्वनिधि |
| 36 | पशुपालन एवं डेयरी | राष्ट्रीय पशुधन मिशन (उद्यमिता विकास) |
| 37 | पशुपालन एवं डेयरी विभाग | किसान क्रेडिट कार्ड (पशुपालन) |
| 38 | वित्त विभाग | किसान क्रेडिट कार्ड (कमर्शियल बैंकों के माध्यम से) |
| 39 | सहकारिता विभाग | किसान क्रेडिट कार्ड (सहकारी बैंकों के माध्यम से) |
| 40 | सहकारिता विभाग | किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना |

| | | |
|---|---|---|
| 41 | सहकारिता विभाग | मछुआ क्रेडिट कार्ड योजना |
| 42 | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग | मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना |
| 43 | सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम | मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना |
| 44 | किसान कल्याण तथा कृषि विकास | प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ''पर ड्राप मोर क्रोपत्र अंतर्गत माइक्रोइरीगेशन एवं अंडर इन्टरवेनशन |
| 45 | उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण | खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए विशिष्ट वित्तीय सहायताएं<br>व्यावसायिक उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती की प्रोत्साहन योजना |

# सेवाएं

| क्र. | विभाग का नाम | योजना का नाम |
|---|---|---|
| 1. | राजस्व विभाग | चालू खसरा/खतौनी की प्रतिलिपियों का प्रदाय। |
| 2. | राजस्व विभाग | चालू नक्शा की प्रतिलिपियों का प्रदाय। |
| 3. | राजस्व विभाग | अविवादित नामांतरण करना |
| 4. | राजस्व विभाग | अविवादित बंटवारा करना |
| 5. | राजस्व विभाग | नक्शा शुद्धिकरण पखवाड़े के तहत कार्रवाही |
| 6. | राजस्व विभाग | सीमांकन प्रकरणों का निराकरण |
| 7. | सामान्य प्रशासन विभाग | कानूनी बाध्यता के कारण स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी करना। |
| 8. | सामान्य प्रशासन विभाग | कानूनी बाध्यता के कारण आय प्रमाण पत्र प्रदाय करना। |
| 9. | सामान्य प्रशासन विभाग | अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र प्रदाय करना |
| 10. | सामान्य प्रशासन विभाग | अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र प्रदाय करना |
| 11. | सामान्य प्रशासन विभाग | विमुक्त घुम्मकड़ एवं अर्द्ध घुम्मकड़ जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र प्रदाय करना |
| 12. | सामान्य प्रशासन विभाग | जाति प्रमाणपत्र में जन्मतिथि आधार और समग्र नंबर में सुधार करने हेतु |
| 13. | सामान्य प्रशासन विभाग | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के अभ्यर्थियों को आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जारी करना |
| 14. | लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग | विकलांगता प्रमाण-पत्र दिया जाना। |
| 15. | लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग | आवेदक की आयु का चिकित्सीय सत्यापन। |
| 16. | लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग | मुख्यमंत्री बाल ह्रदय उपचार योजना के प्रकरण स्वीकृत किया जाना। |
| 17. | उर्जा विभाग | शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में -निम्नदाव के व्यक्तिगत स्थाई नवीन कनेक्शन के लिए मांग -पत्र प्रदान करना जहाँ ऐसा कनेक्शन वर्तमान नेटवर्क से संभव है |

| | | |
|---|---|---|
| 18. | उर्जा विभाग | मांग-पत्र अनुसार राशि जमा करने के बाद वर्तमान नेटवर्क से निम्नदाब स्थाई नवीन कनेक्शन प्रदान करना। |
| 19. | उर्जा विभाग | मीटर/सर्विस लाइन अथवा मीटर की परिसर में ही शिफ्टिंग हेतु मांग पत्र जारी करना |
| 20. | उर्जा विभाग | मांग पत्र अनुसार राशि जमा करने के उपरांत मीटर/सर्विस लाइन अथवा मीटर की परिसर में ही शिफ्टिंग करना |
| 21. | जनजातीय कार्य विभाग | मध्यप्रदेश अनुसुचित जाति/ जनजाति आकस्मिकता योजना नियम, 1995 के अंतर्गत राहत प्राप्त न होने संबंधी आवेदन पत्र का समाधान करना। |
| 22. | उच्च शिक्षा विभाग | नामांकन/ माईग्रेशन प्रमाण पत्र प्रदान करना |
| 23. | उच्च शिक्षा विभाग | प्रोवीजनल उपाधि/ डुप्लीकेट अंकसूची प्रदान करना। |
| 24. | उच्च शिक्षा विभाग | अंकसूची में सुधार/ नाम/ उपनाम (सरनेम) सुधार करना। |
| 25. | उच्च शिक्षा विभाग | स्थानांतरण प्रमाण पत्र |
| 26. | उच्च शिक्षा विभाग | चरित्र प्रमाण पत्र |
| 27. | किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग | हम्माल (मंडी क्रत्यकारी) को अनुज्ञप्ति प्रदान करना |
| 28. | किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग | तुलावटी (मंडी क्रत्यकारी) को अनुज्ञप्ति प्रदान करना |
| 29. | किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग | व्यापारी (मंडी क्रत्यकारी) को अनुज्ञप्ति प्रदान करना |
| 30. | किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग | पक्का आढ़तिया (मंडी क्रत्यकारी) को अनुज्ञप्ति प्रदान करना |
| 31. | किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग | प्रसंस्करणकर्ता/ विनिर्माता (मंडी क्रत्यकारी) को अनुज्ञप्ति प्रदान करना |
| 32. | किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग | फल-सब्जी व्यापारी (मंडी क्रत्यकारी) को अनुज्ञप्ति प्रदान करना |
| 33. | सहकारिता विभाग | किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसान साख पत्र जारी करना |
| 34. | सहकारिता विभाग | किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसान साख पत्र का नवीनीकरण |

| | | |
|---|---|---|
| 35. | तकनीकी शिक्षा,कौशल विकास एवं रोजगार विभाग | उपाधि प्रमाण पत्र |
| 36. | तकनीकी शिक्षा,कौशल विकास एवं रोजगार विभाग | डुप्लीकेट उपाधि प्रमाण पत्र /अंकसूची |
| 37. | तकनीकी शिक्षा,कौशल विकास एवं रोजगार विभाग | अस्थायी उपाधि प्रमाण पत्र |
| 38. | तकनीकी शिक्षा,कौशल विकास एवं रोजगार विभाग | माइग्रेशन प्रमाण पत्र |
| 39. | तकनीकी शिक्षा,कौशल विकास एवं रोजगार विभाग | अंकसूची एवं अन्य प्रमाण पत्रों में नाम सुधार |
| 40. | उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग | फल -पौध रोपणी की अनुज्ञप्ति जारी करना एवं उसका नवीनीकरण करना |
| 41. | परिवहन विभाग | लर्निंग ड्रायविंग लायसेंस जारी करना। |
| 42. | परिवहन विभाग | ड्रायविंग लायसेंस का नवीनीकरण |
| 43. | परिवहन विभाग | वाहन पंजीयन का नवीनीकरण |
| 44. | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग | ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण हेतु अनुज्ञा पत्र |
| 45. | योजना आर्थिक एवं सांख्यकी विभाग | जन्म के 1 वर्ष के पश्चात् पंजीयन के लिए अनुमति |
| 46. | योजना आर्थिक एवं सांख्यकी विभाग | मृत्यु के 1 वर्ष के पश्चात् पंजीयन के लिए अनुमति |
| 47. | योजना आर्थिक एवं सांख्यकी विभाग | जन्म प्रमाण पत्र |
| 48. | योजना आर्थिक एवं सांख्यकी विभाग | मृत्यु प्रमाण पत्र |

| | | |
|---|---|---|
| 49. | योजना आर्थिक एवं सांख्यकी विभाग | विवाह पंजीयन |
| 50. | योजना आर्थिक एवं सांख्यकी विभाग | जन्म प्रमाण में बच्चे का नाम जुड़वाना |
| 51. | नगरीय विकास एंव आवास विभाग | जहां तकनीकी रूप से साध्य हो वहां नवीन नल कनेक्शन के लिए मांग पत्र प्रदाय किया जाना। |
| 52. | नगरीय विकास एंव आवास विभाग | मांग-पत्र अनुसार राशि जमा करने पर नवीन नल कनेक्शन प्रदान करना। |
| 53. | नगरीय विकास एंव आवास विभाग | नगरीय क्षेत्रों के हैंडपंप एवं ट्यूबवेल का सुधार |
| 54. | नगरीय विकास एंव आवास विभाग | भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र |
| 55. | नगरीय विकास एंव आवास विभाग | फायर एन.ओ.सी. (1) अस्थाई (2) नवीनीकरण |
| 56. | नगरीय विकास एंव आवास विभाग | ट्रेड लाइसेंस |
| 57. | नगरीय विकास एंव आवास विभाग | विकास अनुज्ञा के लिए समय सीमा का विस्तार |
| 58. | नगरीय विकास एंव आवास विभाग | अविवादित संपत्ति का हस्तांतरण का नामांतरण (मृत्यु प्रकरण) |
| 59. | नगरीय विकास एंव आवास विभाग | अविवादित संपत्ति का हस्तांतरण क्रेता-विक्रेता के मध्य आपसी विलेख उपरांत |
| 60. | नगरीय विकास एंव आवास विभाग | भवन निर्माण हेतु स्वीकृति आदेश जारी करना (आवासीय) |
| 61. | नगरीय विकास एंव आवास विभाग | नो ड्यूज प्रमाण पत्र जारी करना |
| 62. | नगरीय विकास एंव आवास विभाग | जहा तकनिकी रूप से साध्य हो वहां नवीन सीवर कनेक्शन प्रदाय किया जाना |
| 63. | नगरीय विकास एंव आवास विभाग | भवन अनुज्ञा का कार्य पूर्णता का प्रमाण पत्र |